संख्या-221/2025/738/41-1-2025/CN-1447522-2021-02(सा0)/2025

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक 12 मार्च, 2025

विषय:-विश्व बैंक सहायतित् उत्तर प्रदेश प्रो-पुअर पर्यटन विकास परियोजना को क्लोज़ किये जाने एवं अवशेष प्रतिबद्ध व्ययों का वहन प्रदेश सरकार द्वारा किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-8224/प्रो-पुअर परि0/2025, दिनांक 03 जनवरी,2025 एवंपत्र सं0-9684/प्रो-पुअर परि0/2025, दिनांक 07 फरवरी,2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वाराविश्व बैंक सहायतित् उत्तर प्रदेश प्रो-पुअर पर्यटन विकास परियोजना को क्लोज़ किये जाने एवं अवशेष प्रतिबद्ध व्ययों का वहन प्रदेश सरकार द्वारा किये जानेके सम्बन्ध में माननीय मंत्रि-परिषद् का अनुमोदन प्राप्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

अवगत कराना है कि विदेशी पर्यटकों के आवक में उत्तर प्रदेश का पूरे देश में पाँचवा स्थान है, जबकि घरेलू पर्यटकों के आवक में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। पर्यटन के क्षेत्र में निवेश से अधिक रोजगार की सम्भावनायें उत्पन्न होती हैं। उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास की असीम सम्भावनायें हैं तथा पर्यटन विकास के माध्यम से उत्तर प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर स्थानीय रोजगार में वृद्धि करके स्थानीय लोगों के आर्थिक उन्नयन में सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा विश्व बैंक की सहायता से **"उत्तर प्रदेश प्रो-पुअर पर्यटन विकास परियोजना"** संचालित की गई थी। इस परियोजना में विश्व बैंक के सहयोग से चिन्हित पर्यटक स्थलों पर पर्यटन विकास के साथ-साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण तथा पर्यटन से जुड़े हुए सभी लोगों के आर्थिक विकास पर बल दिया गया है। प्रायः यह देखा जाता है कि प्रमुख पर्यटन स्थलों पर सबसे अधिक लाभ बड़े एवं संगठित पर्यटन व्यवसायियों द्वारा अर्जित किया जाता है और सेवा-प्रदाता के रूप में निचले स्तर पर कार्य करने वाले असंगठित एवं गरीब किस्म के लोगों को यथोचित आर्थिक लाभ नहीं मिल पाता है।

उत्तर प्रदेश प्रो-पुअर पर्यटन विकास परियोजना के अन्तर्गत आगरा-ब्रज सर्किट तथा बुद्धिष्ट सर्किट-सारनाथ एवं कुशीनगर में चयनित पर्यटन स्थलों पर हार्ड एवं साफ्ट काम्पोनेन्ट्स के अन्तर्गत समग्र पर्यटन विकास, विजिटर मैनेजमेंट, विजुअल इन्टेग्रिटी एवं सस्टेनेबिलिटी आदि की अवधारणा विकसित की गई तथा पर्यटन स्थलों के आस-पास के क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय कारीगरों/हस्तशिल्पियों में कौशल विकास/प्रशिक्षण आदि के माध्यम से दक्षता का विकास करते हुये उनकी जीविका में सुधार किया गया तथा उन्हें आर्थिक रूप से सबल बनाया गया। इससे जहां एक ओर प्रदेश की छवि बेहतर हुई वहीं पर्यटकों के आवक में वृद्धि हुई और इसका आर्थिक लाभ भी इन्हीं सेवा-प्रदाताओं को प्राप्त हुआ।

2- उल्लेखनीय है कि माननीय मंत्रि-परिषद् के अनुमोदनोपरान्त पर्यटन अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-249/2020/4108/41-2020-150सा0/2016, दिनाँक 02-11-2020 के माध्यम से निम्नलिखित निर्देश दिये गये थे :-

---

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

(क) उत्तर प्रदेश प्रो-पुअर पर्यटन विकास परियोजना कुल 57.14 मिलियन यू0एस0 डालर (रू0 371.43 करोड़) से संचालित की जायेगी, जिसमें 70 प्रतिशत विश्व बैंक द्वारा एवं 30 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

(ख) आगरा एवं मथुरा में वर्णित कुल रू0 167.00 करोड़ के कार्यों के स्थान पर सारनाथ एवं कुशीनगर में प्रस्तावित कार्यों को कराया जायेगा।

(ग) सारनाथ के कार्यों को वाराणसी विकास प्राधिकरण के द्वारा तथा कुशीनगर के कार्यों को गोरखपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा कराये जाने हेतु कार्यदायी संस्था नामित/अधिकृत किया गया।

3- उपर्युक्त के क्रम में प्रश्नगत परियोजना हेतु विश्व बैंक के साथ हस्ताक्षरित अनुबन्ध में निहित लक्ष्यों एवं प्राप्त उपलब्धियों की स्थिति निम्नवत् हैः-

क्र0सं0	विवरण	लक्ष्य	उपलब्धियाँ
पी.डी.ओ.(Project Development Objectives)			
पी.डी.ओ.-1	परियोजना क्षेत्र में आने वाले पर्यटकों के दैनिक औसत पर्यटन व्यय में वृद्धि।		
	पर्यटक जो रात्रि विश्राम नहीं करते।	USD 6.80	USD 15.60
	रात्रि विश्राम करने वाले पर्यटक।	USD 13.80	USD 74.51
पी.डी.ओ.-2	पर्यटकों के परियोजना क्षेत्र में ठहरने की औसत अवधि में वृद्धि।	Day 0.25	Day 1.58
पी.डी.ओ.-3	परियोजना क्षेत्र में निवासरत परिवारों की स्थिति में सुधार हेतु मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराया जाना।	Household 2,000	Household 2,919
	उपरोक्त परिवारों से आच्छादित जनसंख्या जिन्हें बेहतर मूलभूत सुविधायें प्रदान की गई।	-	People 15,861
पी.डी.ओ.-4	परियोजना स्थलों पर कार्यरत उद्यमियों की वार्षिक आय में वृद्धि।	Entrepreneurs 2,000	Entrepreneurs 6,756
आई-आर-(Intermediate Results Indicators)			
क्र-सं-	**विवरण**	**लक्ष्य**	**उपलब्धियाँ**
आई.आर.-1	परियोजना क्षेत्र में कुल घरेलू पर्यटकों की संख्या में वृद्धि।	4,36,00,000	5,96,89,960
आई.आर.-2	परियोजना क्षेत्र में कार्यरत ऐसे उद्यमियों एवं छोटे व्यवसायियों की संख्या,जिनका क्षमता विकास प्रशिक्षण कराते हुये उपकरण एवं बुनियादी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रदान किया गया है।	Entrepreneurs 2,500	Entrepreneurs 7,007
आई.आर.-3	परियोजना स्थलों पर आयोजित कम्यूनिटी कन्सलटेशन की संख्या।	No. 4,000	No. 9,824
आई.आर.-4	परियोजना स्थलों पर टूरिज्म वैल्यू चेन के अन्तर्गत विशेष रूप से महिलाओं के लिए सृजित नौकरियों की संख्या। (नोट-2861 सृजित नौकरियों में से 1996 महिलायें हैं)	People 2,500	People 2,861

4- अवगत कराना है कि विश्व बैंक की सहायता से उत्तर प्रदेश प्रो-पुअर पर्यटन विकास परियोजना के अन्तर्गत प्रदेश के चिन्हित स्थलों यथा-आगरा, ब्रज क्षेत्र एवं बौद्ध परिपथ (कुशीनगर एवं सारनाथ) में पर्यटन विकास सम्बन्धी गतिविधियों के साथ गरीबी-उन्मूलन, तत्सम्बन्धी क्षेत्रों में रहने वाले स्थानीय लोगों के आर्थिक/सामाजिक स्तर के उन्नयन तथा रोजगार-परक् अवसर सृजित किये गये हैं। प्रदेश सरकार द्वारा उक्त परियोजना का लोन ऐग्रीमेन्ट एवं प्रोजेक्ट ऐग्रीमेन्ट विश्व बैंक एवं आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के साथ दिनाँक 28-12-2017 को हस्ताक्षरित किया गया। परियोजना पूर्ण करने की कुल लागत रू0 386.99 करोड़ है। माननीय मंत्रि-परिषद् द्वारा दिनाँक02-11-2020 को प्रदत्त निर्देश के क्रम में विश्व बैंक द्वारा लोन के रूप में धनराशि रू0 246.66 करोड़ (31.40 मिलियन यू0एस0डॉलर) की प्रतिपूर्ति की गई है एवं अवशेष धनराशि रू0 140.33 करोड़ का वहन प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। प्रदेश सरकार द्वारा वहन की गई धनराशि रू0 140.33 करोड़ में से प्रतिबद्ध अवशेष धनराशि रू0 30.29 करोड़ माननीय मंत्रि-परिषद् के

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

अनुमोदनोपरान्त प्रदेश सरकार के सम्बन्धित मद में उपलब्ध बजट से वहन किया जाना है तथा यह धनराशि विश्व बैंक से लिये गये लोन के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं होगी। परियोजना पूर्ण करने की कुल लागत रू0 386.99 करोड़ का प्राधिकरणवार विवरण निम्नवत् हैः-

परियोजना इकाई का नाम	व्यय की गई धनराशि
वाराणसी विकास प्राधिकरण	100,92,70,939
मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण	147,06,93,057
आगरा विकास प्राधिकरण	101,49,95,950
गोरखपुर विकास प्राधिकरण	28,59,15,773
जल निगम, आगरा	8,89,81,840
कुल परियोजना लागत	**386,98,57,559**

5- परियोजना क्षेत्र में देशी एवं विदेशी पर्यटकों के सुविधार्थ एवं उन्हें आकर्षित करने हेतु निम्नलिखित मूलभूत पर्यटक सुविधायें सम्बन्धित विकास प्राधिकरणों (मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण,आगरा विकास प्राधिकरण,वाराणसी विकास प्राधिकरण,गोरखपुर विकास प्राधिकरण) के माध्यम से सृजित की गई हैंः-

क्र0सं0	परियोजना का नाम	धनराशि
1.	श्री बाँके बिहारी जी मन्दिर क्षेत्र,वृन्दावन का समेकित पर्यटन विकास एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य कराया गया।	रू0 31.73 करोड़
2.	श्री बाँके बिहारी जी मन्दिर क्षेत्र,वृन्दावन की चिन्हित 22 गलियों में ओवरहेड विद्युत लाईनों को भूमिगत करने का कार्य कराया गया।	रू0 12.77 करोड़
3.	ब्रज क्षेत्र का समेकित पर्यटन विकास का कार्य।	रू0 83.45 करोड़
4.	ब्रज क्षेत्र में साईनेजेज एवं डस्टबिन का कार्य।	रू0 1.71 करोड़
5.	आगरा में कछपुरा एवं मेहताब बाग क्षेत्र का समेकित पर्यटन विकास एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य कराया गया।	रू0 40.45 करोड़
6.	जनपद-आगरा में शाहजहाँ पार्क एवं आगरा किला के मध्य विशिष्ट पर्यटक-मार्ग का निर्माण एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य कराया गया।	रू0 31.00 करोड़
7.	आगरा में कछपुरा क्षेत्र के सीवरेज निस्तारण का कार्य।	रू0 8.90 करोड़
8.	आगरा किले में ध्वनि एवं प्रकाश शो का कार्य।	रू0 8.82 करोड़
9.	सारनाथ का समेकित पर्यटन विकास का कार्य।	रू0 89.38 करोड़
10.	कुशीनगर का समेकित पर्यटन विकास का कार्य।	रू0 18.87 करोड़

6- विश्व बैंक द्वारा प्रो-पुअर परियोजना क्षेत्र के समस्त कार्यों को पूर्ण करने की तिथि दिनाँक 31-03-2024 तथा डिस्बर्समेन्ट क्लेम प्रेषित करने की तिथि दिनाँक 31-07-2024 निर्धारित की गई थी। पर्यटन विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश प्रो-पुअर पर्यटन विकास परियोजना क्षेत्र में दिनाँक 31-07-2024 तक उत्पन्न व्ययों के सापेक्ष किये गये भुगतानों का रीम्बर्समेन्ट(रू0 246.66 करोड़) विश्व बैंक से प्राप्त कर लिया गया है।

7- उल्लेखनीय है कि परियोजना क्षेत्र के समस्त कार्यों को दिनाँक 31-07-2024 तक पूर्ण कर लिया गया है, जिसमें केवल आगरा फोर्ट में साउण्ड एण्ड लाईट शो परियोजना के उद्घाटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। प्राधिकरण एवं कान्ट्रैक्टर के मध्य निष्पादित अनुबन्ध में कान्ट्रैक्टर को कार्योंपरान्त रिटेन्शनमनी आदि का भुगतान किये जाने की व्यवस्था है, चूँकि कार्य प्राधिकरणों द्वारा जुलाई, 2024 में पूर्ण किया जा सका, जिसके दृष्टिगत दिनाँक 31-07-2024 के भीतर उक्त भुगतान सम्भव नहीं हो पाया।दिनाँक 31-07-2024 को विश्व बैंक की डिस्बर्समेन्ट डेडलाईन समाप्ति के पश्चात उत्पन्न/देय विश्व बैंक के लोन के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं होंगे तथा इनका रीम्बर्समेन्ट विश्व बैंक द्वारा नहीं किया जा सकेगा, अतः उक्त प्रतिबद्ध व्यय प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जाना है।

8- उत्तर प्रदेश प्रो-पुअर पर्यटन विकास परियोजना के अन्तर्गत सम्बन्धित प्राधिकरणों एवं पर्यटन निदेशालय के स्तर पर प्रतिबद्ध अवशेष भुगतान का विवरण निम्नवत् हैः-

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

सम्बन्धित प्राधिकरण/विभाग	प्रतिबद्ध अवशेष भुगतान
वाराणसी विकास प्राधिकरण	6,08,25,035.00
मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण	7,17,50,610.00
आगरा विकास प्राधिकरण	10,88,68,022.00
गोरखपुर विकास प्राधिकरण	1,00,33,656.00
जल निगमआगरा	1,94,00,213.00
स्टेट प्रोजेक्ट कोआर्डिनेटशन यूनिट (पर्यटन निदेशालय)	3,20,20,514.00
कुल प्रतिबद्ध अवशेष भुगतान	**30,28,98,050.00 (रू0 तीस करोड़ अट्ठाईस लाख अट्ठानवे हजार पचास मात्र)**

उपरोक्त प्रतिबद्ध भुगतान हेतु प्राधिकरण स्तर पर रू0 9.01 करोड़ एवं पर्यटन निदेशालय स्तर पर रू0 5.26 करोड़ की धनराशि उपलब्ध है, शेष रू0 16.02 करोड़ की धनराशि परियोजना हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु शासन द्वारा परियोजना हेतु प्राविधानित बजट रू0 38.00 करोड़ में से आवंटित कराया जाना है।

9- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है किविश्व बैंक सहायतित् उत्तर प्रदेश प्रो-पुअर पर्यटन विकास परियोजना को क्लोज़ किये जाने एवं अवशेष प्रतिबद्ध व्ययों का वहन प्रदेश सरकार द्वारा किये जानेके सम्बन्ध मेंमाननीय मंत्रि-परिषद् की बैठक दिनांक 10मार्च, 2025 में निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं :-

(क) उपरोक्त प्रस्तर संख्या-8 में उल्लिखित प्रतिबद्ध अवशेष धनराशि रू0 30,28,98,050.00(रू0 तीस करोड़ अट्ठाईस लाख अट्ठानवे हजार पचास मात्र)का भुगतान परियोजना मद से करते हुये उत्तर प्रदेश प्रो-पुअर पर्यटन विकास परियोजना को क्लोज किये जाने पर अनुमोदन।

(ख) प्रश्नगत परियोजना हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में उपलब्ध बजट प्राविधान रू0 38.00 करोड़ में से धनराशि रू0 16.02 करोड़ (रू0 सोलह करोड़ दो लाख मात्र) का बजट अनुदान संख्या-44 के लेखाशीर्षक-5452-पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय-80-सामान्य-104- संवर्धन तथा प्रचार-9701-आगरा बृज परिक्षेत्र एवं बौद्ध परिपथ में प्रो-पुअर पर्यटन विकास परियोजना-24-वृहत निर्माण कार्य के मद से आवंटित कराये जाने पर अनुमोदन।

10- उपर्युक्त निर्णय के कार्यान्वयन से पूर्व निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा :-

(1) विश्व बैंक द्वाराप्रो पुअरपरियोजनाके समस्त कार्यो को दिनांक-31.03.2024 तक पूर्ण न हो पाने तथा दिनांक 31.07.2024 तक डिस्पर्समेन्ट क्लेम प्रेषित न किये जाने हेतु उत्तरदायित्व का निर्धारण कर अग्रतर कार्यवाही की जायेगी।

(2) प्रश्नगतपरियोजना में संबंधित सभी देयताओं का नियमानुसार भुगतान करने के पश्चातपरियोजना को क्लोज करने से पूर्व फाइनेंसियल ऑडिट पर्यटन निदेशालय द्वारा कराते हुए वित्तविभाग के परामर्श के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी।

कृपया प्रश्नगत प्रकरण में माननीय मंत्रि-परिषद् द्वारा लिये गये निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें तथा कृत कार्यावाही से शासन को तत्काल सूचित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मुकेश कुमार मेश्राम)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश शासन।
3. निजी सचिव, माननीय मंत्री, पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश।
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
   वित्त विभाग/वाह्य सहायतित् परियोजना विभाग/नियोजन विभाग/न्याय विभाग।
5. मुख्य परियोजना निदेशक, उत्तर प्रदेश, प्रो-पुअर पर्यटन विकास परियोजना, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
6. वित्त नियंत्रक,पर्यटन निदेशालय,लखनऊ।
7. गार्डफाइल।-

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।